

**राजस्थान सरकार**  
**परिवहन विभाग**

क्रमांक : एफ 6(179)परि/कर/मु०/95/10 एफ

जयपुर, दिनांक : 24.03.2005

**अधिसूचना**

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का राजस्थान अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की (समय समय पर यथा-संशोधित) अधिसूचना सं.एफ 6(179) परि/टैक्स/एच क्यू/95/10, दिनांक 31 मार्च 1997 में, इसके द्वारा दिनांक 24-03-2005 से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

**संशोधन**

उक्त अधिसूचना में,-

1. उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी में क्रम सं. 2 पर की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“2 यात्री यान

(1) तिपहिया यान	35/- रु. प्रतिदिन
(2) चार पहियों वाले यान	
(क) ड्राइवर को छोड़कर 12 तक की सीट क्षमता वाले	50/-रु. प्रतिदिन
(ख) ड्राइवर को छोड़कर 12 से अधिक की किन्तु ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 की सीट क्षमता वाले	
(i) साधारण यान	200/- रु. प्रतिदिन
(ii) साधारण यान से भिन्न	300/- रु. प्रतिदिन
(ग) ड्राइवर और कण्डक्टर को छोड़कर 20 से अधिक की सीट क्षमता वाले	
(i) साधारण यान	400/- रु. प्रतिदिन
(ii) साधारण यान से भिन्न	500/- रु. प्रतिदिन”

2. संलग्न सारणी के पश्चात तथा स्पष्टीकरण के पूर्व (1) से (4) तक के विद्यमान परन्तुक हटाए जायेंगे।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**शासन उप सचिव**